


#### GOVERNMENT OF HARYANA SECONDARY EDUCATION DEPARTMENT



#### ORDER

No. 22/22-2022 HRG-I(5)

DATED, CHANDIGARH 08.08.2022

The Governor of Haryana pleased to transfer Smt. Manjeet Malik [059893], Deputy DEO O/o DEO Jhajjar [4066] as Deputy DEO in the office of DEO Rohtak [4086] against vacancy with immediate effect.

# DR. MAHAVIR SINGH, IAS ADDITIONAL CHIEF SECRETARY, GOVT. HARYANA SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT,

## OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA

ENDST. NO 22/22-2022 HRG-I(5)

DATED, PANCHKULA 10.08.2022

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1. Principal Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.
- 2. District Education Officer, Jhajjar & Rohtak.
- 3. Treasury officer concerned.
- 4. Secy/OSD/CM.
- 5. Secy/ Hon'ble E.M.
- 6. Secy/ACSSE, PS/DSE.
- 7. Officer concerned.
- 8. Assistant-3 to maintain personal file of the concerned officer.
- 9. Assistant-5 to update MIS profile. 10. IT Cell.

DEPUTY DIRECTOR HRG-I FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA, PANCHKULA

#### TO BE SUBSTITUTED BEARING SAME NO. AND DATE

## OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA

ORDER NO. 20/112-2022 PGT-II(8) DATED, PANCHKULA THE 04.08.2022

Smt. Suman, PGT Economics, Government Sr. Sec. School, Amadalpur, District Jhajjar is hereby granted Child Care Leave w.e.f. 08.08.2022 to 07.09.2022 (31 days) as per Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016.

RAKESH SANDHU, HCS JOINT DIRECTOR, ADMN. O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA

ENDST. NO. 20/112-2022 PGT-II(8)

DATED, PANCHKULA THE /+. & 21

A copy of the same is forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1. District Education Officer, Jhajjar w.r.t. their Memo No. E-2-22/4193 dated 22.07.2022.
- 2. The Principal/Headmaster, Government Sr. Sec. School, Amadalpur, District Jhajjar.
- 3. Official concerned.

4. IT Cell (Local) for uploading the orders on office website.

DY. SUPERINTENDENT, PGT-II
O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
ARYANA, PANCHKULA

#### TO BE SUBSTITUTED BEARING SAME NO. AND DATE

#### OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, **PANCHKULA**

ORDER NO. 20/108-2022 PGT-II(8) DATED, PANCHKULA THE 05.08.2022

Smt. Rajni Bala, PGT Punjabi, Government Sr. Sec. School, Kharkan, District Kaithal is hereby granted Child Care Leave w.e.f. 08.08.2022 to 21.09.2022 (45 days) as per Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016.

> RAKESH SANDHU, HCS JOINT DIRECTOR, ADMN. O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA

ENDST. NO. 20/108-2022 PGT-II(8)

DATED, PANCHKULA THE /0.8. 2022

A copy of the same is forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1. District Education Officer, Kaithal w.r.t. their Memo No. E-1-22/8269 dated 19.07.2022.
- 2. The Principal/Headmaster, Government Sr. Sec. School, Kharkan, District Kaithal.

3. Official concerned.

4. IT Cell (Local) for uploading the orders on office website.

DY. SUPERINTENDENT, PGT-II O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, A HARYANA, PANCHKULA

### TO BE SUBSTITUTED BEARING SAME NO. AND DATE

### OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, **PANCHKULA**

DATED, PANCHKULA THE 05.08.2022 ORDER NO. 20/99-2022 PGT-II(8)

Smt. Monika, PGT Economics, Government Sr. Sec. School, Mohiudinpur, District Karnal is hereby granted Child Care Leave w.e.f. 08.08.2022 to 16.09.2022 (40 days) as per Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016.

> RAKESH SANDHU, HCS JOINT DIRECTOR, ADMN. O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA

DATED, PANCHKULA THE /1.8. 20 22 ENDST. NO. 20/99-2022 PGT-II(8)

A copy of the same is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Karnal w.r.t. their Memo No. E-2/22/4057 dated 24.06.2022.

2. The Principal/Headmaster, Government Sr. Sec. School, Mohiudinpur, District Karnal.

3. Official concerned.

4. IT Cell (Local) for uploading the orders on office website.

DY. SUPERINTENDENT, PGT-II O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA



### OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA PANCHKULA

### Order No. 12/110-2020 Admn. (3) Dated, Panchkula, the 09.08.2022

On the recommendation of the Haryana Staff Selection Commission, the following candidates are appointed as Clerk vide order No. 12/110-2020 Admn.(3) Dated 15.07.2022 on provisional basis in the pay band FPL-2 (19900-63200) of Schedule-I, Pay Matrix of Haryana Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016. The pay of the official are hereby fixed as under:-

Sr. No	Name SN/Sout	Gender	Date of Joining	Pay Fixed FPL-2, Cell-1	in
1.	Mul Chand S/o Narayandutt Sharma	M	20.07.2022 (F.N.)	19900/-	
2.	Ravi Kumar S/o Tara Chand	M	18.07.2022	19900/-	-
3.	Rohit S/o Krishan	M	20.07.2022 (F.N.)	19900/-	
4.	Mahak D/o Rajender Singh	F	08.08.2022	19900/	
5.	Sanjay Kumar S/o Jai Parkash	M	22.07.2022 (F.N.)	19900/-	
6.	Atul Singhal S/o Sanjeev Kumar	М	18.07.2022 (A.N.)	19900/-	
7.	Anchal S/o Naresh	M	25.07.2022 (A/N)	19900/-	
8.	Nisha Rani D/o Karambir Singh	F	19.07.2022 (F.N.)	19900/-	
9.	Rajat Kumar S/o Baldev Raj	M	20.07.2022 (F.N.)	19900/-	
10.	Ankit Tanwar S/o Satpal	M	18.07.2022 (A.N.)	19900/-	
11.	Shelja D/o Rajesh Kumar	F	25.07.2022 (A/N)	19900/-	
12.	Sohit S/o Wazir Singh	M	20.07.2022 (F.N.)	19900/-	
13.	Balkar Singh S/o Subash Singh	M	20.07.2022 (F.N.)	19900/-	
14.	Lakshmi Devi D/o Balkar Singh	F	19.07.2022 (F.N.)	19900/-	1-51
15.	Jaiveer Ravish S/o Inder Singh	M	19.07.2022 (F.N.)	19900/-	
16.	Kavita Rani D/o Shiv Kumar	F	28.07.2022	19900/-	
17.	Yogesh Kumar S/o Suresh Kumar	M	25.07.2022 (A.N)	19900/-	
18.	Sandeep Kumar S/o Ram Kumar	M	19.07.2022	19900/-	and the first first
19.	Sonu S/o Bhim Singh	M	20.07.2022 (F.N.)	19900/-	
20.	Shweta Kumari D/o Rajbir	F	25.07.2022	19900/-	
21.	Gaurav Kumar S/o Sat Narain	M	19.07.2022 (F.N.)	19900/-	
22.	Dev Ashish S/o Mukesh Kumar	M	20.07.2022 (F.N.)	19900/-	
23.	Kavita D/o Surjeet, VPO. Hasanga	F	22.07.2022	19900/-	
24.	Poonam D/o Rohtash Saini	F	21.07.2022 (F.N.)	19900/-	
25.	Naveen S/o Jagdish	M	21.07.2022 (F.N.)	19900/-	
26.	Gayatri D/o Mange Ram,	F	22.07.2022 (A.N)	19900/-	

E:\Rakesh Goyal\PAY FIXATION\SANCTION.docx

27.	Mehar Singh S/o Hari Ram	M	19.07.2022	19900/-
28.	Reena Rani D/o Naresh Kumar	F	29.07.2022	19900/-
29.	Amit Kumar S/o Jai Bhagwan	M	21.07.2022 (F.N.)	19900/-
30.	Kiran Devi D/o Balraj	F	19.07.2022 (F.N.)	19900/-
31.	Parmeet S/o Phool Kumar	M	19.07.2022 (F.N.)	19900/-
32.	Sangeeta D/o Kailash Chand	F	21.07.2022 (F.N.)	19900/-
33.	Pushpa Rani D/o Jarnail Singh	F	18.07.2022 (A.N.)	19900/-
34.	Amit Kumar S/o Satpal,	M	21.07.2022 (F.N.)	19900/-
35.	Deepak S/o Dhani Ram	M	22.07.2022 (F.N.)	19900/-
36.	Naresh Kumar S/o Pal Singh	M	18.07.2022 (F.N.)	19900/-
37.	Satpal Kherwal S/o Deep Chand Sharma	M	20.07.2022 (F.N.)	19900/-
38.	Virender Singh S/o Sumer Singh	M	28.07.2022 (F.N.)	19900/-
39.	Satish Kumar S/o Bhim Singh	M	18.07.2022 (F.N.)	19900/-
40.	Ravita D/o Baljeet Singh	F	21.07.2022 (F.N.)	19900/-
41.	Monika D/o Ram Kumar	F	18.07.2022 (F.N.)	19900/-
42.	Hans Raj S/o Dilbag Singh	M	26.07.2022	19900/-
43.	Kashmiri Lal S/o Niranjan Singh	M	18.07.2022 (A.N.)	19900/-
44.	Mahender Singh S/o Mala Ram	M	21.07.2022 (F.N.)	19900/-
45.	Priyanka Rani D/o Madan Lal	F	25.07.2022 (A.N.)	19900/-

#### **BALI RAM PUNIA** REGISTRAR EDUCATION O/O DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA PANCHKULA

#### Endst. No. Even

Dated, Panchkula, the /2/08/2022

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1. The Principal Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
- 2. Treasury Officer, Panchkula.
- 3. Superintendent Accounts Branch.
- 4. Official Concerned.
- 5. HRMS Cell for updation data.

7. Spare copy for personal file of the Official.

for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA PANCHKULA



## Directorate School Education

## विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GGSSS Ambala City (Police Line) (Ambala) [143], Ambala Principal GMSSSS Naraingarh [30], Ambala

याची क्रमांक 2/53-2022 work (1) दिनाक पंचकुला 08-08-2022

विषय

माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० कमांक 14/01/2020—1 बीठएण्ड०सी० दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी कमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमित प्रदान की जाती है:—

1	विद्यालय का नाम GGSSS Ambala City (Police Line) (Ambala) [143]	कार्य का नाम Minor repair of class room and	प्रस्तावित राशि 50000.00
2	GMSSSS Naraingarh [30]	white wash Minor repair of class room a	50000.00
		nd white wash कुल शशि	100000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एंव जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है:—

1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों / नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।

2 निमार्ण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।

3 सरकार की हिदायतों यादी कमाक 23/42/91 शि—III(2) दिनाक 19.12.91 तथा यादी कमाक 2/43—2006 दिनाक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

4 विधालयों के भवनों के निमार्ण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया / प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सिहत जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।

5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नही होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीर्मक निर्माण कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

### पृष्ठाकंन कमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक, पंचकुला १ १८८ १०३२

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य संचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बी० एण्ड सी० दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, अम्बाला।
- 5 जिला खजाना अधिकारी अम्बाला।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बाला को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के सदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के <u>निर्माण / मुरम्मत</u> का कार्य उनकी देख—रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये। 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करें)

9 इन्चार्ज आई0ही0 सेल (स्थानीय)।

उप अधीर्सक निर्माण कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।



### Directorate School Education

### विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GMSSSS Bhiwani (Bhiwani) [396], Bhiwani Principal GMSSSS Siwani Mandi (Bhiwani) [359], Bhiwani Principal GMSSSS Kairu (Bhiwani) [395], Bhiwani Principal GMSSSS Tosham (Bhiwani) [356], Bhiwani Principal GMSSSS Charkhi Dadri (Bhiwani) [377], Bhiwani Principal GMSSSS Badhra (Bhiwani) [658]. Bhiwani Principal GMSSSS Sector 55, Faridabad [7134], Bhiwani

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1) दिनाक पंचकुला 08-08-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० कमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड0सी0 दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी कमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमित प्रदान की जाती है:—

	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1	GMSSSS Bhiwani (Bhiwani) [396]	Minor repair of cla white wash	ass room and 50000.00
2	GMSSSS Siwani Mandi (Bhiwani) [359]	Minor repair of cla and white wash	ass room 50000.00
3	GMSSSS Kairu (Bhiwani) [395]	Minor repair of cla and white wash	ass room 50000.00
4	GMSSSS Tosham (Bhiwani) [356]	Minor repair of cla and white wash	ass room 50000.00
5	GMSSSS Charkhi Dadri (Bhiwani) [377]	Minor repair of cla and white wash	ass room 50000.00
6	GMSSSS Badhra (Bhiwani) [658]	Minor repair of class	ass room 50000.00
7	GMSSSS Sector 55, Faridabad [7134]	Minor repair of cl and white wash	ass room 50000.00
		कुल राशि	350000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमित निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है:—

ा सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों / नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।

2 निमार्ण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।

3 सरकार की हिदायतों यादी कमाक 23/42/91 शि—III(2) दिनाक 19.12.91 तथा यादी कमाक 2/43–2006 दिनाक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

4 विधालयों के भवनों के निमार्ग / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया / प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सिहत जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।

5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नही होता है तो भविष्य में उस

विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02–Secondary Education–053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीर्सक निर्माण कृतेः निदेशक विधालय श्रिक्षा हरियाणा, पंचकूला

पृष्ठाकंन कमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक, पंचकुला १ की २०११

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:— 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा० कमांक

14/01/2020—1 बी० एण्ड सी० दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।

2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।

3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।

4 अतिरिक्त उपायुक्त, भिवानी।

5 जिला खजाना अधिकारी भिवानी।

6 जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के सदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण / मुरम्मत का कार्य उनकी देख—रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।

7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय) 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे)

9 इन्चार्ज आई०टी० सैल (स्थानीय)।

उप अधीक्षक निर्माण कृतेः निदेशक विधालय सिक्षा हरियाणा, पंचकूला।



## Directorate School Education

## विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GGSSS Sector28, [6880], Faridabad

यादी कमांक 2/53-2022 work (1) दिनाक पंचकुला 08-08-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने बिल्त विभाग के अशा० कमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी कमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रूपयें की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमित प्रदान की जाती है:—

विद्यालय का नाम 1 GGSSS Sector28, [6880] कार्य का नाम प्रस्तावित राशि
Minor repair of class room and 50000.00
white wash

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण / मुरम्मत / अलटरेशन इस्थावि के कार्च के लिये गठित कमेटी एंव जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमित निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है:—

1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों / नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।

2 निमार्ण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।

3 सरकार की हिदायतों यादी कमाक 23/42/91 शि—III(2) दिनाक 19.12.91 तथा यादी कमाक 2/43—2006 दिनाक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

4 विधालयों के भवनों के निमार्ण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया / प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सिहत जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।

5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नही होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीसक निर्माण कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला

### पृष्ठाकेन कमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक, पंचकुला कुर् १-2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:--

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बी० एण्ड सी० दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, फरीदाबाद।
- 5 जिला खजाना अधिकारी फरीदाबाद।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के सदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण / मुरम्मत का कार्य उनकी देख—रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सिहत निदेशालय को भेजे जाये। 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे)
- 9 इन्चार्ज आई०टी० सेल (स्थानीय)।

उप अधिक्षक निर्माण कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।



## Directorate School Education

## विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GMSSSS Fatehabad (Fatehabad) [3274], Fatehabad Principal GSSS Tohana (Fatehabad) [3288], Fatehabad

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1) दिनाक पंचकुला 08-08-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2022-25 (Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० कमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड0सी0 दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी कमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रूपये की राशि एवर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमित प्रदान की जाती है:—

	विद्यालय का नाम	कार्यं का नाम	प्रस्तावित राशि
1	GMSSSS Fatehabad (Fatehabad) [3274]	Minor repair of class room and	50000.00
		white wash	F0000 00
2	GSSS Tohana (Fatehabad) [3288]	Minor repair of class room and	50000.00
		white wash कुल राशि	100000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एंव जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमित निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है:—

1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों / नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।

2 निमार्ण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।

3 सरकार की हिदायतों यादी कमाक 23/42/91 शि—III(2) दिनाक 19.12.91 तथा यादी कमाक 2/43—2006 दिनाक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथां कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

4 विधालयों के भवनों के निमार्ण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया / प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सिहत जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।

5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नही होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

खप अधीर्तक निर्माण कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

### दिनांक, पंचकुला १०० १००१

#### पृष्ठाकंन कमांक 2/53-2022 work (1)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० कमांक 14/01/2020—1 बी० एण्ड सी० दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, फतेहाबाद।
- 5 जिला खजाना अधिकारी फतेहाबाद।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, फतेहाबाद को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के सदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के <u>निर्माण / मुरम्मत</u> का कार्य उनकी देख–रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये। 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करें)

9 इन्चार्ज आई०टी० सैल (स्थानीय)।

उप अधीक्षक निर्माण कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।



### Directorate School Education

## विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा ने.

Principal DIET Kaithal, Kaithal
Principal GMSSSS Cheeka (Kaithal) [2196], Kaithal

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1) दिनाक पंचकुला 08-08-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड0सी0 दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमित प्रदान की जाती है:—

	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित शरी
1	DIET Kaithal	Minor repair of class room and	50000.00
		white wash	
2	GMSSSS Cheeka (Kaithal) [2196]	Minor repair of class room and	50000.00
		white wash कुल पारी	100000,00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों / नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निमार्ण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी कमाक 23/42/91 शि—III(2) दिनाक 19.12.91 तथा यादी कमाक 2/43-2006 दिनाक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विधालयों के भवनों के निमार्ण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया / प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सिहत जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।

5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02–Secondary Education–053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत बहुन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण कृतेः निदेशक विघालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूलाः

### पृष्ठाकंन कमांक 2/53-2022 work (1)

ु दिनांक, पंचकुला १८०९ १००९

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 14/01/2020–1 बी० एण्ड सी० दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, कैथल।
- 5 जिला खजाना अधिकारी कैथल।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, कैथल को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के सदंर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण / मुरम्मत का कार्य उनकी देख—रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये। 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय से अनुरोध है कि कमांक न0 1 पर डाईट के लिये बजट DEO as DDO तथा कमांक न0 2 पर अंकित विद्यालय के लिए बजट DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे)।

9 इन्चार्ज आई०टी० सैल (स्थानीय)।

उप अधीक्षक निर्माण कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला



### Directorate School Education

## विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GMSSSS Kurukshetra [2406], Kurukshetra Principal GSSS Shahabad Markanda [2411], Kurukshetra

यादी कमांक 2/53-2022 work (1) दिनाक पंचकुला 08-08-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रूपये की राशि एर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमित प्रदान की जाती है:—

	विद्यालय का नाम		कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1	GMSSSS Kurukshetra [2406]	25	Minor repair of class room and	50000.00
			white wash	TARRA 60
2	GSSS Shahabad Markanda [2411]		Minor repair of class room and	50000.00
			white wash कुल राशि	100000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एंव जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमित निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है:--

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों / नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निमार्ण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी कमाक 23/42/91 शि—III(2) दिनाक 19.12.91 तथा यादी कमाक 2/43-2006 दिनाक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विधालयों के भवनों के निमार्ण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया / प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सिहत जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।

5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02–Secondary Education–053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधिक्षक निर्माण कृतेः निदेशक विघालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठाकन कमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक, पंचकुला १०८५०००

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बी० एण्ड सी० दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।

4 अतिरिक्त उपायुक्त, कुरुक्षेत्र।

5 जिला खजाना अधिकारी कुरुक्षेत्र।

- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के सदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण / मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये। 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे)

9 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (स्थानीय)।

उप अधीसक निर्माण कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।



### Directorate School Education

## विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे

Principal DIET Sonepat Biswameel, Sonepat Principal GSSS Gohana [3560], Sonepat Principal GSSS Ganaur (Sonipat) [3679], Sonepat

यादी कुमांक 2/53-2022 work (1) विनाक पंचक्ला 08-08-2022

माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेट स्कूलज वर्ष 2022-23 विषय (Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० कमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड0सी0 दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1	DIET Sonepat Biswameel	Minor repair of class room and white wash	50000.00
2	GSSS Gohana [3560]	Minor repair of class room and white wash	50000.00
3	GSSS Ganaur (Sonipat) [3679]	Minor repair of class room and white wash	50000.00
		मुल राशि	150000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एंव जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों / नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निमार्ण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी कमाक 23/42/91 शि—III(2) दिनाक 19.12.91 तथा यादी कमाक 2/43-2006 दिनाक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विधालयों के भवनों के निमार्ण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया / प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

> कृतेः निदेशक विघालय श्लिक्षा हरियाणा, पंचकुला 🖉

### पृष्ठाकंन कमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक, पंचकुला १०० %० १2

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एंव सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 14 / 01 / 2020—1 बी० एण्ड सी० दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, सोनीपत।
- 5 जिला खजाना अधिकारी सोनीपत।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के सदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण / मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बीoसीoएo) स्थानीय से अनुरोध है कि कमाक न0 1 पर डाईट के लिये बजट DEO as DDO तथा क्रमांक न0 2 व 3 पर अंकित विद्यालयों के लिए बजट DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे)।


9 इन्चार्ज आई०टी० सैल (स्थानीय)।

कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला



### Directorate School Education

## विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GSSS Panchkula (Sector 6) [3704], Panchkula Principal GSSS Pinjore (Panchkula) [3706], Panchkula Principal GSSS Raipur Rani, Panchkula

यादी कमांक 2/53-2022 work (1) दिनाक पंचकुला 08-08-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० कमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड0सी० दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी कमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमित प्रदान की जाती है:—

	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1	GSSS Panchkula (Sector 6) [3704]	Minor repair of class room and	50000.00
2	GSSS Pinjore [3706]	white wash Minor repair of class room and	50000.00
		white wash Minor repair of class room and	50000.00
3	GSSS Raipur Rani (Panchkula)	white wash	50000.00
		कुल राशि	150000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एंव जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है:—

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों / नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निमार्ण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी कमाक 23/42/91 शि—III(2) दिनाक 19.12.91 तथा यादी कमाक 2/43-2006 दिनाक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विधालयों के भवनों के निमार्ण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया / प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सिहत जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।

5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठाकंन कमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक, पंचकुला १.०८% ७३%

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० कमांक 14/01/2020–1 बी० एण्ड सी० दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, पंचकूला।

5 जिला खजाना अधिकारी पंचकूला।

- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, पंचकूला को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के सदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के <u>निर्माण / मुरम्मत</u> का कार्य उनकी देख—रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय) 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करें)


9 इन्चार्ज आई०टी० सैल (स्थानीय)।

उप अधीर्तक निर्माण कृतेः निदेशक विघालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला



### Directorate School Education

## विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GSSS Sarhaul (Gurgaon) [860], Gurugram Principal GMSSSS Pataudi (Gurgaon) [736], Gurugram

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1) दिनाक पंचकुला 08-08-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० कमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी कमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमित प्रदान की जाती है:—

	विद्यालय का नाम		कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1	GSSS Sarhaul (Gurgaon) [860]	,	Minor repair of class room and white wash	50000.00
2	GMSSSS Pataudi (Gurgaon) [736]		Minor repair of class room and	50000.00
			white wash	
			कुल राशि	100000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमित निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:—

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों / नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निमार्ण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी कमाक 23/42/91 शि—III(2) दिनाक 19.12.91 तथा यादी कमाक 2/43—2006 दिनाक 34.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विधालयों के भवनों के निमार्ण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया / प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की कोटो सिहत जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नही होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:--

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बी० एण्ड सी० दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, गुरुग्राम।

5 जिला खजाना अधिकारी गुरुग्राम।

6 जिला शिक्षा अधिकारी, गुरुग्राम को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के सदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण / मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।

7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)

8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे)

9 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (स्थानीय)।

उप अधीक्षक निर्माण कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला



## Directorate School Education

## विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GMSSSS Hisar (Jhajpul) [1443], Hisar Principal GMSSSS Barwala (Nahar Kothi) [4079], Hisar Principal GMSSSS Hansi [1441], Hisar

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1) दिनाक पंचकुला 08-08-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).

हरियाणा संप्रकार ने वित्त विभाग के अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड०सीं० दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमित प्रदान की जाती है:—

	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1	GMSSSS Hisar (Jhajpūl) (Hisar) [1443]	Minor repair of class room and white wash	50000.00
2 .	GMSSSS Barwala (Nahar Kothi) (Hisar) [4079]	Minor repair of class room and white wash	50000.00
3	GMSSSS Hansi (Hisar) [1441]	Minor repair of class room and	50000.00
		white wash कुल राशि	150000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एंव जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमित निम्नलिखित शर्ती पर प्रदान की जाती है:--

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों / नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निमार्ण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी कमाक 23/42/91 शि—III(2) दिनाक 19.12.91 तथा यादी कमाक 2/43—2006 दिनाक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विधालयों के भवनों के निमार्ण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया / प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सिहत जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा जरवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।

5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02–Secondary Education –053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण कृतः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठाकंन कमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक, पंचकुला १,०८ २०३१

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बीo एण्ड सीo दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, हिसार।
- 5 जिला खजाना अधिकारी हिसार।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के सदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण / मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये। 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि CEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे)


9 इन्चार्ज आई०टी० सैल (स्थानीय)।

उप अधीक्षक निर्माण कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला



### Directorate School Education

## विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे

Principal GMSSSS Jhajjar (Jhajjar) [3099], Jhajjar Principal GMSSSS Bahadurgarh [3109], Jhajjar Principal GMSSSS Hansi [1441], Jhajjar

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1) दिनाक पंचकुला 08-08-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० कमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी कमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के उसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमित प्रदान की जाती है:—

	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1	GMSSSS Jhajjar [3099]	Minor repair of class room and	50000.00
	1	white wash	•
2	GMSSSS Bahadurgarh [3109]	Minor repair of class room and	50000.00
		white wash	
	:	कुल राशि	100000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमित निम्नलिखित शर्ता पर प्रदान की जाती है:—

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों / नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निमार्ण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी कमाक 23/42/91 शि—III(2) दिनाक 19.12.91 तथा यादी कमाक 2/43—2006 दिनाक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विधालयों के भवनों के निमार्ण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया / प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।

5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नही होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-C53-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीहां निर्माण कृतेः निदशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला

पृष्ठाकंन कमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक, पंचकुला १,००,२०२१

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एंव सूचनार्थ प्रेषित है:--

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 14/01/2020–1 बी० एण्ड सी० दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, झज्जर।
- 5 जिला खजाना अधिकारी झज्जर।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, झज्जर को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के सदंर्भ नें भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण / मुरम्मत का कार्य उनकी देख—रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये। 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे)
- 9 इन्चार्ज आई०टी० सेल (स्थानीय)।

उप अधीक्षक निर्माण कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला 🗘



### Directorate School Education

## विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GM,SSSS Jind (Defence Colony) [1566], Jind Principal GSSS Narwana [1515], Jind

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1) दिनाक पंचकुला 08-08-2022

विषय माईनर वर्क्स गान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड०सी० विनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS Jind (Defence Colony) [1566]	Minor repair of class room and	50000.00
	white wash	
2 GSSS Narwana [1515]	Minor repair of class room and	50000.00
	white wash कुल राशि	100000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमित निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:—

- 1 सभी प्रकार का खर्च र रकार की हिदायतों / नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निमार्ण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी कमाक 23/42/91 शि—III(2) दिनाक 19.12.91 तथा यादी कमाक 2/43-2006 दिनाक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विधालयों के भवनों के निमार्ण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया / प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सिहत जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।

5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नही होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण कृतेः निदेशक विधालय श्रिक्षा हिरयाणा, पंचकूला।

#### पृष्ठाकंन कमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक, पंचकुला १०० ००००

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एंव सूचनार्थ प्रेषित है:--

- ातिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 14/01/2020–1 बीo एण्ड सीo दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, जीन्द।
- 5 जिला खजाना अधिकारी जीन्द।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, जीन्द को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के सदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण / मुरम्मत का कार्य उनकी देख—रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- ७ अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे)
- 9 इन्चार्ज आई०टी० सैल (स्थानीय)।

उप अधीक्षक निर्माण कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला 9



### Directorate School Education

## विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे

Principal GMSSSS Karnal (Model Town) [1790], Karnal Principal GSSS Assandh (Karnal) [1768], Karnal

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1) दिनाक पंचकुला 08-08-2022

विषय माईनर वर्क्स प्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).

हरियाण सरकार ने वित्त विभाग के अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमित प्रदान की जाती है:—

5,1	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1	GMSSSS Karnal (Model Town) (Karnal) [1790]	Minor repair of class room and white wash	50000.00
2	GSSS Assandh (Karnal) [1768]	Minor repair of class room and white wash	50000.00
		कुल राशि	100000.10

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एंव जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमित निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है:—

- 1 सभी प्रकार का खर्च रारकार की हिदायतों / नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से डी करना होगा।
- 2 निमार्ण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी कमाक 23/42/91 शि—III(2) दिनाक 19.12.91 तथा यादी कमाक 2/43-2006 दिनाक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विधालयों के भवनों के निमार्ण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया / प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सिहत जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।

5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02–Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

### पृष्ठाकन कमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक, पंचकुला १००० थे०००

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एंव सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बीo एण्ड सीo दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, करनाल।
- 5 जिला खजाना अधिकारी करनाल।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, करनाल को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के सदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण / मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये। 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DED as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे)

इन्चार्ज आई0टी0 सैल (स्थानीय)।

उप अधीक्षक निर्माण कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला



### Directorate School Education

### विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GMSSSS Narnaul [3887], Narnaul Principal GMSSSS Mahendergarh [4100], Narnaul

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1) दिनाक पंचकुला 08-08-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० कमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी कमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमित प्रदान की जाती है:—

ilkii G.		
विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
GMSSSS Narnaul [3887]	Minor repair of class room and	50000.00
	white wash	
GMSSSS Mahendergarh [4100]	Minor repair of class room and	50000.00
7 9	white wash	
1	कुल राशि	100000.00

स्कीम मे यह गाशि खजाने से निकलवाकर निर्माण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एंव जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमित निम्निलिखत शतों पर प्रदान की जाती है:—

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों / नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निमार्ण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी कमाक 23/42/91 शि—III(2) दिनाक 19.12.91 तथा यादी कमाक 2/43-2006 दिनाक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विधालयों के भवनों के निमार्ण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया / प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सिहत जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।

5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहने देखा होगा।

उप अधीक्षक निर्माण कृतेः निदेशक विघालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

### पृष्ठाकंन कमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक, ांचकुला १-०८ अ०४१

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एंव सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बीo एण्ड सीo दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, नारनौल।
- 5 जिला खजाना अधिकारी नारनौल।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, नारनौल को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के सदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण / मुरम्मत का कार्य उनकी देख—रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।

? अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)


3 मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे)

9 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (स्थानीय)।

उप अधीक्षक निर्माण कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला



# Directorate School Education विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवां मे.

Principal GMSSSS Nuh [6625], Mewat Principal GSSS Ferozpur Jhirka [884], Mewat

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1) दिनाक पंचकुला 08-08-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).

हरियाणा साकार ने वित्त विभाग के अशा० कमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी कमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमित प्रदान की जाती है:—

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS Nuh [6625]	Minor repair of class room and	50000.00
v.	white wash	
2 GSSS Ferozpur Jhirka [884]	Minor repair of class room and	50000.00
	white wash	d
	कुल राशि	100000.00

स्कीम मे यह गशि खजाने से निकलवाकर निर्माण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शता पर प्रदान की जाती है:—

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों / नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निमार्ण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों रादी कमाक 23/42/91 शि—III(2) दिनाक 19.12.91 तथा यादी कमाक 2/43—2006 दिनाक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विधालयों के भवनों के निमार्ण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया / प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सिहत जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।

5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02–Secondary Education–053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

### पृष्ठाकन कमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक, पंचकुला १,००% १००३

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एंव सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा० क्रमांक 14/01/2020–1 बी० एण्ड सी० दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, मेवात।
- 5 जिला खजाना अधिकारी मेवात।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, मेवात को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के सदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण / मुरम्मत का कार्य उनकी देख—रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के नुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये। अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 3 मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे)
- 9 इन्चार्ज आई०टी० सैल (स्थानीय)।

उप अधिक्षक निर्माण कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।



## Directorate School Education

## विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GSSS Palwal [1008], Palwal Principal GMSSSS Hodal [1002], Palwal

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1) दिनाक पंचकुला 08-08-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).

हरियाणा र रकार ने वित्त विभाग के अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमित प्रदान की जाती है:—

	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1	GSSS Palwal [1008]	Minor repair of class room and	50000.00
		white wash	
2	GMSSSS Hodal [1002],	Minor repair of class room and	50000.00
		white wash	
		कुल राशि	100000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एंव जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है:—

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों / नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निमार्ण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी कमाक 23/42/91 शि—III(2) दिनाक 19.12.91 तथा यादी कमाक 2/43-2006 दिनाक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विधालयों के भवनों के निमार्ण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया / प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सिहत जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधिक्षक निर्माण कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठाकन कमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक, पंचकुला १००० १००

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एंव सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बीo एण्ड सीo दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, पलवल।
- 5 जिला खजाना अधिकारी पलवल।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, पलवल को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के सदंर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण / मुरम्मत का कार्य उनकी देख—रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय) 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEC as BCO के खाते मे स्थानान्तरित करने का कष्ट करे)
- 9 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (स्थानीय)।

उप अधीक्षक निर्माण कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला



## Directorate School Education

## विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal DIET Panipat, Panipat
Principal GMSSSS Madlauda [2106], Panipat

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1) दिनाक पंचकुला 08-08-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमित प्रदान की जाती है:—

	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1	DIET Panipat	Minor repair of class room and	50000.00
2	GMSSSS Madlauda (Panipat) [2106]	white wash Minor repair of class room and	50000.00
		white wash <b>কুল</b> যাখা	100000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि के कार्ज के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्ती पर प्रदान की जाती है:—

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों / नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निमार्ण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी कमाक 23/42/91 शि—III(2) दिनाक 19.12.91 तथा यादी कमाक 2/43-2006 दिनाक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विधालयों के भवनों के निमार्ण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया / प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सिहत जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधिक्षक निर्माण कृतेः निर्देशक विधालय शिक्षा हरियागा, पंचकूला

पृष्ठाकं कमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक, पंचकुला १००१ १००१

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एंव सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बी० एण्ड सी० दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, पानीपत।
- 5 जिला खजाना अधिकारी पानीपत।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के सदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के <u>निर्माण / मुरम्मत</u> का कार्य उनकी देख—रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।

7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)

8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय से अनुरोध है कि कमाक न0 1 पर डाईट के लिये बजट DEO as DDO तथा कमांक न0 2 पर अंकित विद्यालय के लिए बजट DEO as BOO के खाते मे स्थानान्तरित करने का कष्ट करे)।

9 इन्चार्ज आई०टी० सैल (स्थानीय)।

उप अधीक्षक निर्माण कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।



## Directorate School Education

## विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GSSS Rewari (Rewari) [2540], Rewari Principal GSSS Kosli (Rewari) [2546], Rewari

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1) दिनाक पंचकुला 08-08-2022

विषय

माईनर वर्क्स गान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० कमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड०सी० विनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी कमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमित प्रदान की जानी है:—

	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1	GSSS Rewari (Rewari) [2540]	Minor repair of class room and	50000.00
		white wash	
2	GSSS Kosli (Rewari) [25,16]	Minor repair of class room and	50000.00
		white wash	
		कुल राशि	100000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एंव जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमित निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:—

- 1 राभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों / नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निमार्ण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी कमाक 23/42/91 शि—III(2) दिनाक 19.12.91 तथा यादी कमाक 2/43-2006 दिनाक 3.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विधालयों के भवनों के निमार्ण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया / प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सिहत जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अन्तंगत

> कृते निदेशक विधालय श्रिक्षा हरियाणा, पंचकूला

पृष्ठाकंन कमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक, पंचकुला १००१ %०%

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एंव सूचनार्थ प्रेषेत है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 14 / 01 / 2020—1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, रेवाडी।
- उ जिला खजाना अधिकारी रेवाडी।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, रेवाडी को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के सदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण / मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये। 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- в मुख्य लेखा अधिकारी (बीoसीoएo) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते मे स्थानान्तरित करने का कष्ट करे)

9 इन्चार्ज आई०टी० सैल (स्थानीय)।

कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला



## Directorate School Education

## विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GGSSS Rohtak (Model Town) [2676], Rohtak Principal GMSSSS Lakhan Majra [2665], Rohtak

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1) दिनाक पंचकुला 08-08-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1	GSSS Rewari [2540]	Minor repair of class room and	50000.00
		white wash	
2	GMSSSS Lakhan Majra [2665]	Minor repair of class room and	50000.00
	\$ : <b>\tilde{x}</b>	white wash কুল <b>বাহা</b>	100000.00
	·	3	

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमित निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:—

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों / नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निमार्ण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी कमाक 23/42/91 शि—III(2) दिनाक 19.12.91 तथा यादी कमाक 2/43-2006 दिनाक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विधालयों के भवनों के निमार्ण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया / प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सिहत जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अन्तेगत वहन करना होगा।

> कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठाकन कमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक, पंचकुला १-०८ 2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एंव सूचनार्थ प्रेषित है:--

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० कमांक 14 / 01 / 2020-- 1 बी० एण्ड सी० दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, रोहतक।
- 5 जिला खजाना अधिकारी रोहतक।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के सदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण / मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बीoसीoएo) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते मे स्थानान्तरित करने का कष्ट करे)
- 9 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (स्थानीय)।

कृतेः निदेशक विधालय शिक्षः हरियाणा, पंचकूला 🎾



## Directorate School Education

## विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal DIET Yamuna Nagar, Yamuna Nagar Principal GSSS Khizrabad [4059], Yamuna Nagar

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1) दिनाक पंचकुला 08-08-2022

विषय

माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रंसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमित प्रदान की जाती है:—

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 DIET Yamuna Nagar	Minor repair of class room and	50000.00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	white wash Minor repair of class room and	50000.00
2 GSSS Khizrabad (Yamuna Nagar) [4059]	white wash	30000.00
f = f	कुल राशि	100000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं ज़िला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमित निम्नलिखित शर्ता पर प्रदान की जाती है:--

1 सभी प्रकार का खर्च र रकार की हिदायतों / नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।

2 निमार्ण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।

3 सरकार की हिदायतों थादी कमाक 23/42/91 शि—III(2) दिनाक 19.12.91 तथा यादी कमाक 2/43-2006 दिनाक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

4 विधालयों के भवनों के निमार्ण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया / प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सिहत जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।

5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एंव सूचनार्थ प्रेषित है:--

- ा अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 14 / 01 / 2020-1 बी० एण्ड सी० दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, सोनीपत।
- 5 जिला खजाना अधिकारी सोनीपत।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के सदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के <u>निर्माण / मुरम्मत</u> का कार्य उनकी देख—रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेले जाये।

? अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)

8 मुख्य लेखा अधिकारी (बीoसीoएo) स्थानीय से अनुरोध है कि कमाक नव 1 पर डाईट के लिये बजट DEO as DDO तथा कमांक न0 2 पर अंकित विद्यालय के लिए बजट DEO as BCO के खाते मे स्थानान्तरित करने का कष्ट करे)।

इन्चार्ज आईoटीo सैल (स्थानीय)।

कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।



## Directorate School Education

## विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे

Principal GMSSSS Sirsa (Sirsa) [2844], Sirsa Principal GMSSSS Mandi Dabwali (Sirsa) [2816], Sirsa Principal GMSSSS Nathusari Chopta (Sirsa) [2923], Sirsa Principal GMSSSS Ellenabad (Sirsa) [2825], Sirsa

यादी कमांक 2/53-2022 work (1) दिनाक पंचकुला 08-08-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० कमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी कमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमित प्रदान की जाती है:—

911/11 C.			,	
विद्यालय का नाम			कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS Sirsa [2844]	¥		Minor repair of class room and white wash	50000.00
2 GMSSSS Lakhan Majra	a [2665]	į	Minor repair of class room and white wash	50000.00
3 GMSSSS Nathusari Cho	ppta (Sirsa) [2923]		Minor repair of class room and white wash	50000.00
4 GMSSSS Ellenabad (Sir	są̃) [2825]		Minor repair of class room and	50000.00
e 2 2			white wash कुल राशि	100000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमित निम्नलिखित शतीं पर प्रदान की जाती है:—

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों / नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निमार्ण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी कमाक 23/42/91 शि—III(2) दिनाक 19.12.91 तथा यादी कमाक 2/43—2006 दिनाक 3.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विधालयों के भवनों के निमार्ण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया / प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सिहत जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा

करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02–Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण कृतेः निदेशक विधालय श्रिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

#### पृष्ठाकंन कमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक, पंचकुला १ ०८ % १ १३

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एंव सूचनार्थ प्रेषित है:--

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बी० एण्ड सी० दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, सिरसा।
- 5 जिला खजाना अधिकारी सिरसा।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, सिरसा को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के सदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के <u>निर्माण / मुरम्मत</u> का कार्य उनकी देख—रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।

7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)

8 मुख्य ब्रेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे)

🤊 इन्चार्ज आईoटीo सैल (स्थानीय)।

Audheh.

उप अधीक्षक निर्माण कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला



## GOVERNMENT OF HARYANA SECONDARY EDUCATION DEPARTMENT



#### ORDER

NO. 22/42-2022 HRG-I (2)

DATED, CHANDIGARH, THE 09.08.2022

The Governor of Haryana is pleased to transfer Sh. Madan Singh [041445], District Education Officer, Jind [4115] as District Education Officer, Jhajjar [4066] against vacant post.

# SH. VIJAYENDRA KUMAR, IAS PRINCIPAL SECRETARY TO GOVT. OF HARYANA SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT CHANDIGARH

## OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA, PANCHKULA ENDST. NO. 22/42-2022 HRG-I(2) DATED, PANCHKULA, THE 12.08.2022

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

- The Principal, Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
- 2. Deputy Commissioner, Jind & Jhajjar.
- District Education Officer, Jind & Jhajjar.
- 4. District Elementary Education Officer, Jind & Jhajjar.
- Treasury Officer concerned.
- Officers concerned for immediate compliance.
- 7. Secy/OSD-CM, EM,
- 8. Secy/ACSSE.
- PA/DSE, PA/DEE, PA/SPD.
- HRG-I/3 for placing copy of the transfer orders in the personal files of the concerned officers.

11. IT Cell

SUPERINTENDENT HRG-I for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA, PANCHKULA